संख्या 551 / 49–3–13–100(43) / 2012.

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 दिनाक :: लखनऊ :11 अप्रैल, 2013.

विषय :– वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–18 के अधीन आयोजनागत / आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न लेखा / उप लेखाशीर्षको, मानक मदों में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–01 / लेखा–अ / 2011–12–नान प्लान, दिनांक 04–4–2011 के संदर्भ में तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28 मार्च, 2013, के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर /आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के लेखा शीर्षक '2425–सहकारिता–001–निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत प्राविधानित मतदेय' मद की धनराशि रू0 1020724 हजार (रूपये एक अरब दो करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) राजस्व लेखा के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–3–2013 में निहित प्राविधानों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

07 फोटो 15.4.13

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी / शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नही किया जायेगा ।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलो में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियॉ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था / किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनो के भरण–पोषण हेतु सहायता को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण चार त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा।

......2 /

(4) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटनएवं आवंटित / विज्ञप्ति धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195 / दस–16 / 94 दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या बी–1 –1307 / दस–2006–247 / 06, दिनांक 28–3–2006 में प्रदत्त निर्देशो का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त–नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दें ।

(7) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनाये वित्त नियंत्रक / लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(8) बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 की प्रकिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(9) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत कियेगये शासनादेशो का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक "2425– सहकारिता –001–निदेशन तथा प्रशासन– आयोजनागत / आयोजनेत्तर" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28 मार्च, 2013, में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।

संख्या–551(1) / 49–3–2013–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8– निंजी सचिव,प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग,उ0प्र0शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
इन्द्रदेव पटेल

(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– 551/49–3–13–100(43)/2012 का संलग्नक

दिनांक : अप्रैल, 2013

अनुदान संख्या–18

कृषि एवं सम्बद्ध विभाग–सहकारिता

प्राविधानित बजट का विवरण – वर्ष 2013-14

धनराशि (हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	आय–व्ययक प्राविधान	
	2013-14 आयोजनागत	2013-14 आयोजनेत्तर
1	2	3
2425–सहकारिता		
001–निदेशन तथा प्रशासन		
03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण		
01–वेतन	1092	451316
02–मज़दूरी	0	212
03–मँहगाई भत्ता	906	374592
04–यात्रा–व्यय	24	2000
05–स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	18	500
06–अन्य भत्ते	34	37503
08–कार्यालय व्यय	8	1750
09–विद्युत देय	0	1500
10–जलकर/जल प्रभार	0	100
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17	500
12–कार्यालय फर्नीचर एवम उपकरण	60	290
13–टेलीफोन पर व्यय	8	1500
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	840
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	400
17–किराया–उपशुल्क एवं कर–स्वामित्व	42	5150
18–प्रकाशन	0	50
29–अनुरक्षण	0	500
42–अन्य व्यय मतदेयः–	0	0
भारित :	0	300
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	1700
45–अवकाश यात्रा–व्यय	0	100
46–कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	0	1522
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0	258
49–चिकित्सा व्यय	0	7000
51–वर्दी–व्यय	0	200
योग– 03 मतदेय :	**2209**	**889483**
भारित :	**0**	**300**
05–विशेष अनुसंधान शाखा का गठन		
01–वेतन	0	58363
03–मँहगाई भत्ता	0	48441
04–यात्रा–व्यय	0	825

05–स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	0	340
06–अन्य भत्ते	0	9682
08–कार्यालय व्यय	0	120
09–विद्युत देय	0	250
10–जलकर/जल प्रभार	0	10
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	125
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	150
13–टेलीफोन पर व्यय	0	300
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	550
17–किराया उपशुल्क एवं कर–स्वामित्व	0	900
23–गुप्त सेवा व्यय	0	50
45–अवकाश यात्रा–व्यय	0	200
46–कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	0	150
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0	100
49–चिकित्सा व्यय	0	880
51–वर्दी–व्यय	0	20
योग – 05	**0**	**121456**
06–उ.प्र.सहकारी संस्थागत सेवामण्डल		
01–वेतन	0	4330
03–मँहगाई भत्ता	0	3594
04–यात्रा–व्यय	0	6
05–स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	0	5
06–अन्य भत्ते	0	520
08–कार्यालय व्यय	0	50
09–विद्युत देय	0	125
10–जलकर/जल प्रभार	0	60
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0	10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	50
13–टेलीफोन पर व्यय	0	75
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0	90
17–किराया उपशुल्क एवं कर–स्वामित्व	0	500
45–अवकाश यात्रा व्यय	0	50
46–कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	0	70
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0	40
49–चिकित्सा व्यय	0	200
51–वर्दी–व्यय	0	10
योग– 06	**0**	**9785**
योग – 2425–001 मतदेय	**2209**	**1020724**
राजस्व मतदेय	**0**	**1020724**
भारित	**0**	**300**

शब्दो में योग:–आयोजनेत्तर राजस्व मतदेय (रूपये एक अरब दो करोड़ बहत्तर लाख चालीस हजार मात्र)
भारित (रू0 तीन लाख मात्र)

इन्द्रदेव पटेल

(इन्द्रदेव पटेल)
उप सचिव।